संख्या: 68/2024/1327/छप्पन-2024-23/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2024

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा पायलटों की संविदा सेवा अवधि को 65 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 257/ ना0उ0नि0/आप्स-2/2023 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या 107/ना0उ0नि0/आप्स-36/2024 दिनांक 26 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय में एक समय पर sanctioned strength के एक तिहाई संविदा पायलटों (maximum) की संविदा सेवा को उनकी 65 वर्ष की आयु तक अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा पायलटों के लिए अनुमन्य आयु सीमा तक Case to case basis पर बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा पायलटों की संविदा सेवा अवधि को 65 वर्ष की उम्र तक बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2024 को नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ में एक समय पर sanctioned strength के एक तिहाई संविदा पायलटों (maximum) की संविदा सेवा को उनकी 65 वर्ष की आयु तक अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा पायलटों के लिए अनुमन्य आयु सीमा तक Case to Case basis पर बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा पायलटों की संविदा सेवा अवधि को 65 वर्ष की उम्र तक बढ़ाए जाने के लिए मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 68/2024/1327(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/नियोजन/चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।